नामांकन प्रकिया निर्देश ENROLLMENT PROCESS NOTICE

B.Tech | M.Tech | B.Pharma

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024–25 में प्रवेशित छात्र निर्धारित अवधि में पोर्टल पर ऑन–लाइन नामांकन नही करने/भरने की स्थिति में संस्था/महाविद्यालय में लिया गया प्रवेश नियमानुसार स्वतः ही निरस्त हो जावेगा। **नामांकन शुल्क राशि रू. 150/–(मध्यप्रदेश निवासी छात्र) एवं नामांकन शुल्क राशि रू. 650/–(मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी छात्र) जमा करने के लिये विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑन–लाइन सुविधा उपलब्ध है,** ऑन–लाइन प्रकिया के उपरांत विश्वविद्यालय में हार्डकापी एवं SDF & EVL Form (प्रारूप–1) की साफ्टकापी जमा करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करे :–

- नामांकन फॉर्म के साथ **माइग्रेशन प्रमाण–पत्र की मूलप्रति** संलग्न करना अनिवार्य है। मूल माइग्रेशन के अभाव में नामांकन फार्म अपूर्ण माने जावेगें तथा स्वीकार नही किए जावेंगे। ऑनलाइन जारी होने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/मंडल से इस आशय का पत्र प्राप्त किया जावे तथा संलग्न प्रारूप में रू.100/ के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **(प्रारूप–3)**
- प्रवेश के समय अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची वर्ष 2024 की नही होने की स्थिति में रू.100/ के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शैक्षणिक अंतराल/गेप हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **(प्रारूप–4)**
- पोर्टल से जनरेट नामांकन फार्म के प्रिंट आउट पर छात्र एवं संस्था के प्राचार्य/संचालक के निर्धारित स्थान पर स्याही पेन के हस्ताक्षर, प्राचार्य का नाम एवं सील अंकित की गई हो। (इसके अभाव में नामांकन फॉर्म स्वीकार नही किया जावेगा)
- प्रथम वर्ष में प्रवेश की स्थिति में छात्र/छात्राओं की दसवी एवं बारहवी परीक्षा उत्तीर्ण की अथवा अर्हकारी परीक्षा की प्राचार्य द्वारा सत्यापित अंकसूची की छाया–प्रति संलग्न करना होगा।
- द्वितीय वर्ष (लेटरल–एन्ट्री) में प्रवेश की स्थिति में छात्र/छात्राओं की दसवी एवं बारहवी परीक्षा तथा डिप्लोमा/स्नातक उत्तीर्ण की अथवा अर्हकारी परीक्षा की प्राचार्य द्वारा सत्यापित अंकसूची की छाया–प्रति संलग्न करना होगी।
- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की स्थिति में छात्र/छात्राओं की दसवी, बारहवी एवं स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की अथवा अर्हकारी परीक्षा की प्राचार्य द्वारा सत्यापित अंकसूची की छाया–प्रति संलग्न करना होगी।
- काउंसलिग के माध्यम से महाविद्यालय में प्रवेश लेने की एडमीशन स्लिप प्राचार्य द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
- नामांकन शुल्क राशि रू.150/–(मध्यप्रदेश के मूल निवासी छात्र एवं नामांकन शुल्क राशि रू. 650/–(मध्यप्रदेश के अनिवासी छात्र) विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑन–लाइन शुल्क जमा करेंगे तथा उसकी रसीद नामांकन फॉर्म के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
- ऑन–लाइन नामांकन शुल्क की रसीद (मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी छात्रों के नामांकन शुल्क की जॉच अवश्य कर ले, नामांकन शुल्क राशि रू. 650/–जमा करना है)।
- नामांकन फॉर्म के साथ टी.सी. (स्थानांतरण प्रमाण–पत्र) की प्राचार्य द्वारा सत्यापित छाया–प्रति संलग्न करें तथा उसकी मूलप्रति महाविद्यालय में संधारित करना होगा।